न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन सं0– 155/2025

नागेन्द्र पाण्डेय .....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. बिहार राज्य ..... विपक्षी प्रथम पक्ष।
2. उदय चौधरी ..... विपक्षी द्वितीय पक्ष।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से ..... श्री शशिकांत दूबे, अधिवक्ता।

विपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से ..... 1. श्री श्रीधन कुमार तिवारी, अपर लोक अभियोजक, बिक्रमगंज, रोहतास।

विपक्षी द्वितीय पक्ष की ओर से ..... 2. श्री सुधीर कुमार सिंह, अधिवक्ता।

आदेश की तिथि– 26.05.2026

उपस्थित– ओम सागर
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बिक्रमगंज।

आदेश

1. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त नागेन्द्र पाण्डेय द्वारा यह आपराधिक पुरनीक्षण आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद वाद संख्या 182/2024 में दिनांक 15.09.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143A के अंतर्गत अभियुक्त को चेक राशि 90,000/– रुपए का दस प्रतिशत अर्थात 9,000/– रुपए अंतरिम मुआवजा पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

2. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकुल है। आगे पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143A के अनुसार अंतरिम मुआवजे की राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर देय होती है, जबकि विचारण न्यायालय ने मात्र पंद्रह दिनों की अवधि निर्धारित कर विधि का उल्लंघन किया है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि मूल परिवाद समय बाधित एवं अपोषणीय है तथा चेक अनादरण एवं विधिक नोटिस से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अतः पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के दिनांक 15.09.2025 के आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है।

3. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन का विरोध किया है।

4. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी एवं अभियुक्त के बीच व्यापारिक लेन–देन था। अभियुक्त द्वारा 90,000/–

लगातार
26.05.2026

रुपया का चेक परिवादी के पक्ष में निर्गत किया गया था, जो खाते में अपर्याप्त राशि रहने के कारण अनादरित हो गया था। परिवादी द्वारा अभियुक्त को विधिक नोटिस भी भेजा गया था, परंतु अभियुक्त के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया था कि अभियुक्त ने चेक के निर्गमन एवं हस्ताक्षर से स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया है।

5. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143A न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करती है कि वह विचारण लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को चेक राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दे सके। वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय द्वारा चेक राशि का मात्र 10 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया न तो अत्यधिक प्रतीत होता है न ही मनमाना। अतः अंतरिम मुआवजा प्रदान करने संबंधी निष्कर्ष में कोई वैद्यानिक त्रुटि नहीं है।

हालांकि परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 143A में स्पष्ट प्रावधान है कि अंतरिम मुआवजे की राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर देय होगी तथा पर्याप्त कारण होने पर अतिरिक्त 30 दिनों का समय भी दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मात्र 15 दिनों की अवधि निर्धारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

6. फलतः, यह पुरनीक्षण आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2025 को पारित आदेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि पुरनीक्षणकर्ता/अभियुक्त आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर 9,000/– रुपए अंतरिम मुआवजा परिवादी/शिकायतकर्ता को भुगतान करेगा। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय को अभिलेख सहित इस आदेश की प्रति अविलंब प्रेषित करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास।

Date of Judgement/Order	26/05/26
Date of Reserving Judgement/Order	NA
Uploading Date	09/07/26
Uploaded by	Steno